

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शारान।

रोडा मे.

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयगराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय-कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के आदेश संख्या-1107 / सत्र-3-2021-08 (20) / 2020, दिनांक 18 मई, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान के संचालन के सम्बन्ध में ऑनलाईन कक्षाएं संचालित किये जाने, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं की उपरिधिति न होने, परिसर में शिक्षकों की उपरिधिति के सम्बन्ध में कुलपति/प्रधानाधार्य द्वारा निर्णय लिये जाने तथा समूह-'ख', 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपरिधिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त पत्र के अनुक्रम में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या-729 / 2021-सीएस-3, दिनांक 30, मई, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, जिसने कोरोना कफरू के दृष्टिगत गतिविधियों को 30, मई, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, जिसने कोरोना कफरू के दृष्टिगत गतिविधियों को आरम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः इस सम्बन्ध में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत संलग्न पत्र में उल्लिखित आदेशों का निम्नलिखित निर्देशों सहित अनुपालन सुनिश्चित करने का काष्ट करें-

“स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। उच्च शिक्षण संस्थाओं को द्वितीय संलग्नों में ऑनलाईन पढाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय को तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।”

कृपया उक्त निर्देशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का काष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

मददीय
(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : 298 / लो0अ0वि0-सा0प्र0 / 2021

दिनांक : जून-09, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त महाविद्यालय, डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- अधिकारी छात्र कल्याण/संकायाध्यक्ष/प्रिणाराध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, डॉ रामलोहिया, अयोध्या।
- वित्त अधिकारी/परीक्षा नियन्त्रक/उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
- प्रशासनिक अधिकारी/प्रगारी समस्त अनुभाग, डॉ रामलोहिया, अयोध्या।
- प्रोग्रामर, ई0टी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उपर्योग आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बद्ध महाविद्यालय के लॉग-इन आई0डी0 पर अपलोड करने का काष्ट करें।
- निजी सचिव कुलपति को, कुलपति गहोदय के अवलोकनार्थ।
- पत्रावली।

UN8108
कुलसचिव

संख्या: ८३७५ /VIP-PASHED/2020
66/S.HE/2021

संख्या- 729 /2021-रीएक्स-3

प्रेषण,

राजनन्द कुमार तिथिका,
गुरुग्राम सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या ८३७५ नंबर ५१३२
हृषि २५ वर्षीय सचिव
पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक

संवा मे.

1. रामरत गण्डतालुका/आर पुलिस महानिदेशक, यमरत जान, उत्तर प्रदेश २४० ग्र.
पुर मुख्य सचिव
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गोलमुक्तनगर/कानपुर नगर/गोपालगढ़ी/शिला विभाग
3. रामरत पुलिस गहनिरीधक/पुलिस उप महानिरीधक, रेज, उत्तर प्रदेश/गोपालगढ़ी
4. रामरत जिलाधिकारी/यशिष पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

दिनांक: 30 मई, 2021

गृह (गोपन) अनुभाग-3

Urgent - विषय:- गृह(गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-720/2021-रीएक्स-3, दिनांक 20.04.2021
के कम में कारोना कार्बन् के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारम्भ करने के संघर्ष में
दिशा-निर्देश।

V.S.(A.S.)H.E-3

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-720/2021-रीएक्स-3, दिनांक
20.04.2021 द्वारा जारी निर्देशों को यथा संरोधित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है
कि कन्टनमेंट जान के बाहर दिनांक 31 मई, 2021 से लेकर 01 जून, 2021 की प्रातः 07:00
31.05.2021 वज्र तक पूर्ण आदेश लागू रहेंगे एवं दिनांक 01 जून, 2021 से प्रातः 07:00 वज्र से सायं 07:00
(रामेश अहमद खान विद्युत विभाग राजिकार्त्तीन कर्कश्यु सायं 7:00 वज्र से प्रातः 07:00 वज्र तक लागू रहेंगा एवं शनिवार य
सचिव उच्च विकास विभाग राजिकार्त्तीन कर्कश्यु सायं 7:00 वज्र से प्रातः 07:00 वज्र तक लागू रहेंगा एवं शनिवार य
उत्तर प्रदेश शासन।

1020/VSHE/AS/2021

DS(H) १०३

31.5.21
(संस्कृत संवद)
विशेष विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

अधिकारी
अधिकारी

(b) जिन जनपदों में करोना के सक्रिय केस नी संख्या आज दिनांक 30.05.2021 का 600 से अधिक है यथा गोरख, लखनऊ, राहारनपुर, यारामर्थी, गानियाल, गारलपुर, गुजफ़कर नार, गरसी, गंतगमुद नार, गुलमदशहर, डंरी, प्रयागराज, लखनऊपुर जोगी, सानामद, जोनपुर, नामगत, पुरादामाल, गानीपुर, गिजनाम एवं रामगिरा (दृष्टि 29 नामांक) में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। जब इन जनपदों में रवास्था निवारणी में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। जब इन जनपदों में रवास्था निवारणी में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। जब इन जनपदों में भी कारोना कार्फ़्यू में इस आदर्श में अनुमन्य रागी कम हो जायेगी तो इन जनपदों में भी कारोना कार्फ़्यू में इस आदर्श में अनुमन्य रागी कम हो जायेगी। यदि किसी जनपद में, जिसमें छूट लागू है, रक्षिय छूट रवास्था लागू हो जायेगी। यदि किसी जनपद में, जिसमें छूट लागू है, रक्षिय कारोना केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो रामन्धित जनपद में कारोना कार्फ़्यू, में छूट कारोना केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो रामन्धित जनपद में कारोना कार्फ़्यू, में छूट कमाल हो जायेगी एवं अनुमन्य समरत गतिविधियों पर पुनः राक लागू हो जायेगी। जिसके लिए आदेश यथासमय जारी किये जायेंगे।

- 2- करोना के अभियान से जुड़े फन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपरिक्षति रहेगी। एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपरिक्षति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपरिक्षति के साथ खुलेंगे। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डंस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- 3- निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मारक की अनिवार्यता/दो गज की दूरी य सेनिटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियों वर्क फ़ाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्ताहित करेगी। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डंस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- 4- ऑटोगिक सरथान खुले रहेंगे एवं इन सरथाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई डी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक ऑटोगिक इकाई में कोविड हेल्प डंस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- 5- राज्जी मण्डियों पूर्व की भाति खुली रहेगी, परन्तु चर्नी आयादी में संचालित सर्वी मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाही हुए खुलायेंगे। प्रत्येक राज्जी मण्डल स्थल में कोविड हेल्प डंस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- 6- रेलवे रेटेशन, एयरलाईट एवं रानडवेज यस गे दो गज की दूरी, मारक की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था के साथ-साथ रक्कीनिंग य एण्टीजन टेरिटिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डंस्क की व्यवस्था टेरिटिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।
- 7- समरत सरकारी एवं निजी कार्यालयों में, ऑटोगिक इकाई में, एयरलाईट, रेलवे स्टेशन, यस स्टेण्ड एवं मण्डी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डंस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा जिसमें थमेल रक्कीनिंग हेतु इन्फारंड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डंस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी एवं संदिग्ध य संक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवंश की

अनुमति न देनार दराती रहूँगा जानाम् गों गुल्या शिफिल्साधिगती नी प्रतिदिन गूणी
शिवरण गों रात्य (गाग, आईडी, कार्ड न गोनाइल न.) गेजी जायेगी, जिरारो ऐसे
प्रतिरामों गी स्कैनिंग न टेरिटंग तालाल गरायी जा रहो।

- 8- रघूल, कालोज तथा शिक्षण रारधान शिक्षण कार्य हेतु नन्द रहेंगे। गार्यगिक एवं उच्च
शिक्षण रारधाओं, कोटिंग रारधानों में अंगलाइन पदार्थ नी अनुमति शिक्षारीय आन्दोरों
गों अनुकूल्य होगी। भैरिका/गार्यगिक/उच्च शिक्षा गों शिक्षावारों एवं कार्यारियों गों
प्रशारानिक कार्यों हेतु शिक्षालय आने-जाने गी अनुमति होगी। इसके लिए शिक्षालयों
गों प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने वी अनुमति होगी।
- 9- तैकों, वीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों गी
शाखायें/कार्यालय खुले एवं कियाशील रखे गरे हैं। आने ग्राहकों गों लिए
गतिशीलता के साथ दो गज वी दूरी गों नियमों/गोविड प्रोटोकाल का प्रयोग करते
हुए सेवा प्रदान की जा रही है। बैकिंग उद्योग को गृह मंदालय, भारत सरकार के
अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
दैक/वित्तीय सेवाओं के कार्यारियों गों उनकी आईडी. के आधार पर रोका न जाये।
तथा गैंग के खुले रहने वी अवधि में उनके कामकाज में वादा न डाली जाये।
- 10- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई-वे व
एक्सप्रेस-वे के किनारे ढावे तथा ठेले/छोमचे वालों को खोलने वी अनुमति, दो गज
की दूरी व मारक के साथ होगी।
- 11- ड्रॉस्पोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस
को खोलने वी अनुमति होगी, जिससे कम्पनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की
आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- 12- कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मरथलों के अन्दर एक बार में एक
स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हों।
- 13- उत्तर प्रदेश परियहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर चलने की अनुमति इस रात्रि
के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संधालन किया जायेगा। स्टैण्डिंग की
अनुमति नहीं होगी। संधालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क/ग्लब्स का
उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य
होगा। साथ ही बसों का नियमित सेनेटाइजेशन किया जायेगा। बसों में बैठने से पूर्ण
तथा परियहन निगम वस रटेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
रूप से की जाये। वस स्टेशन अथवा वस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108
तत्काल प्रयोग की जा सके।
- 14- दोपहिया याहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी।
दोपहिया याहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना
अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया याहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो

यात्री, वैटरी चलित ई-रिक्षा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं धार पहिया याहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।


- 15- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-राफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद रखान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय न किया जाए।
- 16- समरत प्रदेश में गोहू क्य केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।
- 17- कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।
- 18- यूक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत यन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
- 19- राजस्व व चकवन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मारक की अनिवार्यता य सेनेटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ एवं परिसर के अन्दर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम बाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।
- 20- बाढ़ आदि की तैयारी के कम में जल शवित विभाग के समरत कार्यालय खुले रहेंगे राथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं विल काउन्टर भी खुले रहेंगे।
- 21- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, यलवा एवं शापिंग मॉल्स पूर्णतः यन्द रहेंगे।
- 22- समस्त प्रदेश में समरत सरकारी व निजी निर्माण, कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे।
- 23- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नतः शर्तों/प्रतिवन्धों के अनुसार रहेगी:-
 - (i) यन्द रथानों अथवा खुले रथानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमन्त्रित अतिथियों को मारक की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
 - (ii) आयोजन/समारोह रथलों पर आमन्त्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
 - (iii) आयोजन/समारोह रथलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।उपरोक्त शर्तों/प्रतिवन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

। 24- लाठ-यात्रा में डोरीड-19 के शोटोकात का अनुपातन करते हुए अधिकारी 20 प्रतिलिपि सम्मिलित हो रहे।

25- लोरोना के रोकथाम हेजु परिवहन एंड सिस्टम का घायल उपयोग कर जन सामाजिक लो जागरूक छिपा जाये। जन सामाजिक से यह अपेक्षा भी जाये कि सभी नागरिक लोरोना गाइड लाइन्स का स्वयं चालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना राहयोग प्रदान करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त लन्टेनमेट जोन के सम्बन्ध में आदेश नं. 755/2021-सीरिज-3 दिनांक 25 अप्रैल, 2021 ली गयरथा यथावत लागू रहेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देश अधिक जादेशी हक लागू रहेंगे।


भवदीद

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

लंबा व दिनांक तर्दीय।

प्रतीतिवै निन्दितिवै छो सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) अमर नुख्य तथिव, नुख्यनगी, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) नुख्य तथिव, न० नुख्यनगी, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) नुख्य तथाक अधिकारी, नुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) शनस्त अमर नुख्य तथिव/नुख्य तथिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) नुख्य नहानिदेशक/नुख्य नहानिदेशक, अमिनियमन संघाये, उत्तर प्रदेश।
- (6) गांड फाइल।

आज्ञा से,


(अवनीश कुमार खण्डेकर)
अमर नुख्य तथिव